"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015— भाद्रपद 27, शक 1937

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-8/2014/15-1/6.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा भी उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट विस्तार तथा सीमा तक और कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर, किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	शक्तियों एवं कर्तव्यों का विस्तार तथा सीमा (3)	विनिर्दिष्ट क्षेत्र (4)
1.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, दुर्ग संभाग.	समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में, रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य, जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार कालम (4) में यथा वर्णित अधिकारिता के भीतर हों.	दुर्ग राजस्व संभाग

No. F 1-8/2014/15-1/6. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, directs that, all the powers conferred

and duties imposed on the Registrar under the said Act and Rules made thereunder shall also be exercised and performed by the Officer specified in column (2) of the Schedule below to the extent and limit as specified in column (3) and within the area as specified in column (4) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Officer (2)	Extent and limit of powers and duties (3)	Specified Area (4)
1.	Joint Registrar, Co-operative Societies, Durg Division.	All powers and duties of registrar in respect of all types of societies whose area of operation extends within the jurisdiction as stated in column (4).	Durg Revenue Division.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.